हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक बुधवार, दिनांक 28 फरवरी, 2024 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

प्रश्न काल

तारांकित प्रश्न

28.02.2024/1100/av/as/1

व्यवस्था का प्रश्न

अध्यक्ष : माननीय उद्योग मंत्री जी, बोलिए। आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

उद्योग मंत्री (संसदीय कार्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, कल विधान सभा में जो घटनाक्रम घटा वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नियम-319 के तहत प्रस्ताव करता हूं कि पिछले कल यानी दिनांक 27.02.2024 को जब माननीय सदन की बैठक को स्थगित किया गया तो उसके उपरांत लगभग 02.15 बजे अपराह्न जब सदन दोबारा शुरू हुआ तो विपक्ष के विधायकों द्वारा हल्ला-गुल्ला किया गया और अध्यक्ष महोदय की तरफ आपत्तिजनक इशारे व टिप्पणियां की गईं। उस दौरान कार्यवाही न चल पाने की वजह से माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को स्थगित किया गया। उसके उपरांत भारतीय जनता पार्टी के सभी विधायक श्री जय राम ठाकुर के नेतृत्व में माननीय अध्यक्ष के चैम्बर की ओर नारेबाजी करते हुए गए और वहां उपस्थित मार्शल के साथ धक्का-मुक्की की तथा जबरदस्ती अध्यक्ष महोदय के कक्ष में प्रवेश किया। वहां पर अध्यक्ष महोदय के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकियां दी गईं तथा मेज भी थपथपाया गया। यह सारा घटनाक्रम लगभग 10 से 15 मिनट तक चलता रहा और अध्यक्ष महोदय के अनुरोध करने के बावजूद भी ये सदस्य कक्ष से बाहर नहीं गए। अध्यक्ष महोदय द्वारा हाथ जोड़ने पर काफी समय बाद ये सभी सदस्य नारेबाजी करते हुए वहां से बाहर निकले। फिर रात को लगभग 08.30 बजे अपराह्न दोबारा आए। ये सभी माननीय सदस्य दोबारा से धक्का-मुक्की करते हुए अध्यक्ष महोदय के कक्ष में घुसे और उन्हें कई प्रकार की धमकियां दीं तथा डराने व धमकाने की कोशिश की गई। इस प्रकार के कृत्य से अध्यक्ष महोदय के स्वतंत्र कार्य में बाधा पहुंचाई गई। इस तरह से सदन की निष्पक्ष कार्रवाई चलाना सम्भव नहीं है। इनका यह कृत्य असंसदीय है जिससे सदन और विधान सभा की गरिमा को ठेस पहुंची तथा सदन को इन हालात में चलाना सम्भव नहीं है।

28.02.2024/1100/av/as/2

अध्यक्ष महोदय, मैं नियम-319 के तहत प्रस्ताव करता हूं कि निम्न सदस्यों को विधान सभा सदन से निलम्बित किया जाए ताकि इस माननीय सदन की कार्यवाही को निष्पक्ष रूप से चलाया जा सके :-

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री विपिन सिंह परमार
3. श्री रणधीर शर्मा
4. श्री लोकेन्दर कुमार
5. श्री विनोद कुमार
6. डॉ0 हंस राज
7. डॉ0 जनक राज
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा
9. श्री त्रिलोक जम्वाल
10. श्री सुरेन्द्र शौरी
11. श्री दीप राज
12. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर
13. श्री इन्द्र सिंह
14. श्री दलीप ठाकुर
15. श्री रणवीर सिंह (निक्का)

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि निम्न माननीय सदस्यों को विधान सभा से निलम्बित किया जाए ताकि इस माननीय सदन की कार्यवाही का निष्पक्ष रूप से संचालन किया जा सके:-

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री विपिन सिंह परमार

28.02.2024/1100/av/as/3

3. श्री रणधीर शर्मा
4. श्री लोकेन्दर कुमार
5. श्री विनोद कुमार
6. डॉ0 हंस राज
7. डॉ0 जनक राज
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा
9. श्री त्रिलोक जम्वाल
10. श्री सुरेन्द्र शौरी
11. श्री दीप राज
12. श्री पूर्ण चन्द ठाकुर
13. श्री इन्द्र सिंह
14. श्री दलीप ठाकुर
15. श्री रणवीर सिंह (निक्का)

तो प्रश्न यह है कि निम्न माननीय सदस्यों को विधान सभा से निलम्बित किया जाए ताकि इस माननीय सदन की कार्यवाही का निष्पक्ष रूप से संचालन किया जा सके :-

1. श्री जय राम ठाकुर
2. श्री विपिन सिंह परमार
3. श्री रणधीर शर्मा
4. श्री लोकेन्दर कुमार
5. श्री विनोद कुमार
6. डॉ0 हंस राज
7. डॉ0 जनक राज
8. श्री बलबीर सिंह वर्मा
9. श्री त्रिलोक जम्वाल

10.श्री सुरेन्द्र शौरी

11.श्री दीप राज

28.02.2024/1100/av/as/4

12.श्री पूर्ण चन्द ठाकुर

13.श्री इन्द्र सिंह

14.श्री दलीप ठाकुर

15.श्री रणवीर सिंह (निक्का)

(प्रस्ताव स्वीकार)

माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर, श्री विपिन सिंह परमार, श्री रणधीर शर्मा, श्री लोकेन्दर कुमार, श्री विनोद कुमार, डॉ0 हंस राज, डॉ0 जनक राज, श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री त्रिलोक जम्वाल, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्री दीप राज, श्री पूर्ण चन्द ठाकुर, श्री इन्द्र सिंह, श्री दलीप ठाकुर व श्री रणवीर सिंह (निक्का) विधान सभा सदन से निलम्बित हुए।

टी सी द्वारा जारी

28.02.2024/1105/टी0सी0वी0/ए0एस0-1

अध्यक्ष महोदय .... जारी

अब मैं माननीय सदस्य श्री जय राम ठाकुर, श्री विपिन सिंह परमार, श्री रणधीर शर्मा, श्री लोकेन्दर कुमार, श्री विनोद कुमार, डॉ0 हंस राज, डॉ0 जनक राज, श्री बलबीर सिंह वर्मा, श्री त्रिलोक जम्वाल, श्री सुरेन्द्र शौरी, श्री दीप राज, श्री पूर्ण चन्द ठाकुर, श्री इन्द्र सिंह, श्री दलीप ठाकुर व श्री रणवीर सिंह (निक्का) से अनुरोध करूंगा चूंकि वे इस माननीय सदन से मेजॉरिटी वोट से निलम्बित हुए हैं, अतः इस माननीय सदन की अनुपालना करते हुए वे इस माननीय सदन से बाहर जाएं।

(विपक्ष के माननीय सदस्य वैल में आकर नारेबाजी करने लगे।)

मेरा उन सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि मैंने जिन माननीय सदस्यों के नाम अभी लिए हैं, वे सदन के वैल से बाहर जाएं और नियमों की उल्लंघना न करें अन्यथा मुझे नियमों के अनुरूप कार्रवाई करने के लिए विवश होना पड़ेगा। मैं एक बार आप सब से अनुरोध कर रहा हूं कि नियमों के अनुसार इस माननीय सदन की संस्कृति के मुताबिक इस सदन से बाहर जाएं। अब मैं ऑर्डर कर रहा हूं, I am ordering the Marshal that he should take assistance of the Marshals and all these Members, those who have been named in the House, should be removed from the House forcibly. ...(Interruption) I will request the Hon'ble Members, those who have been named, please move out from the Well of the House. I am requesting you time and again, otherwise the Force will be used for the removal as per the Rules & Procedures of the House. I am time and again requesting the Members those who have been named should move out from the Well of the House and the Marshal should take his course now to remove them forcibly from the House. ...(Interruption) I am taking up today's business also. ...(Interruption) प्रश्नकाल आरंभ Postponed question. ...(Interruption) Marshal has been ordered to remove the Members, those who have been named, forcibly from the House. ...(Interruption) I am requesting time and again to the Marshal and ordering him for the removal of all these Members those who have been named that they

28.02.2024/1105/टी0सी0वी0/ए0एस0-2

should be removed. ...(Interruption) I would request the Hon'ble Members please move out of the House. ...(Interruption) I am directing the Marshal to remove Hon'ble Member Shri Jai Ram Thakur from the House first. ...(Interruption) Shri Jai Ram Thakur, Hon'ble Member is to be removed forcibly from the House, then Shri Vipin Singh Parmar is to be removed forcibly from the House.

Contd. by DC in English...

28-02-2024/1110/एन0एस0-डी0सी0/1

अध्यक्ष ------जारी

….(Interruption) then Shri Randhir Sharma is to be removed from the House forcibly. ….(Interruption) Shri Lokender Kumar is to be removed forcibly. ….(Interruption) time and again ….(Interruption) .

(विपक्ष के माननीय सदस्य वैल में नारेबाजी करते रहे)

The House is adjourned and we will reassemble at 12.00 p.m.

28.02.2024/1405/बी.एस./एच के

(सदन की बैठक दोपहर के भोजनोपरांत अपराह्न 2.05 बजे पुनः आरम्भ हुई)

अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सतपाल सिंह सत्ती जी आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, जो घटनाक्रम पिछले कल से माननीय सदन के अंदर चल रहा है उसके बारे में मैं कुछ बातें आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। पिछले कल जब हम लोग कटौती प्रस्ताव के ऊपर चर्चा कर रहे थे और उसके बाद जब हम लोगों ने डिवीजन ऑफ वोट मांगा तो उसे मांगने का हमारा ठोस आधार था। क्योंकि हमें जानकारी थी कि पिछले कल राज्य सभा के लिए वोट हुए हैं। उस चुनाव में कांग्रेस के बहुत से लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को समर्थन दिया है। इसके साथ-साथ जो हमारे निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने भी अपना समर्थन भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को दिया है। अध्यक्ष महोदय, इसमें केवल दो-तीन लाइन्ज की बात है।

अध्यक्षः माननीय सदस्य सत्ती जी, कृपया बैठ जाइए। उद्योग मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

Parliamentary Affairs Minister (Industries Minister) : Hon'ble Speaker, Sir, this matter is subjudice. आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी जो कह रहे हैं, जिन छह

माननीय सदस्यों के बारे में ये जिक्र कर रहे हैं जिन्होंने क्रोस वोटिंग की है उनकी पेटिशन आपके पास लम्बित है अभी-अभी आपने दोनों पार्टियों को सुना है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

28.02.2024/1410/एच के/ डी टी/ -1

श्री संसदीय कार्य मंत्री जारी....

और उसके लिए आपने फिर से सुनवाई के लिए 04.00 बजे बैठक बुलाई है। He has no right to discuss about that petition which is pending before you. आप आज के एजेंडा से शुरू करें। Sir, you don't know what happened in the House when you adjourn it. आपके आसन के ऊपर जा करके कागज़ फके गए हैं और यहां जितने भी विधान सभा के रिपोर्टर्ज हैं इनके टेबल से कागज़ भी फेंके गए हैं। यह सदन क्या फिश मार्केट है? आपको शर्म आनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने सदन में क्या कारनामा किया है? Sir, it is recorded. इस सदन में जो वाकया हुआ है, मैं उसका खंडन करता हूं कि हिमाचल प्रदेश का आज का दिन काले अक्षरों में लिखा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने आपके आसन पर जा करके जो कागज फेंके इसके लिए आप कड़ी-से-कड़ी कार्रवाई अमल में लाइए। हम इस बारे में कुछ कहना नहीं चाहते। क्योंकि यह मामला न्यायालय के विचाराधीन है। आपका जो आज का एजेंडा है, कृपया आप उससे आगे कार्यवाही शुरू करने की कृपा करें।

अध्यक्ष : आदरणीय सतपाल सिंह सत्ती जी, कृपया बैठ जाइए। कल का जो घटनाक्रम है उस पर माननीय सदन में प्रस्ताव पास हो करके 15 माननीय सदस्यों का निलम्बन हो चुका है। यह बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि माननीय सदस्यों का निलम्बन होने के बाद भी वे सभी सदन में बैठे रहे। जबकि हमारे नियम खुले रूप में यह कहते हैं कि जब हाउस एडजोर्न हो जाए और किसी भी मेम्बर के खिलाफ एक्शन ले लिया जाए तो वह हाउस से बाहर हो जाता है। परंतु यहां पर माननीय सदस्य उसके बाद भी बैठे रहे, this is again the violation of the Rules. I am sorry to say that and I am hurt. Yesterday also आप पिछले दरवाजे से आये, आप अच्छे मूड में थे। आपने अन्दर आ करके कुछ भी ऐसा नहीं

किया। मैं सभी माननीय सदस्य जो आज विधान सभा से निलम्बित हुए हैं उनसे बार-बार आग्रह कर रहा था और कह रहा था कि आप बैठ जाइए और मैं आपको चाय पिलाता हूं। एक तो उन्होंने मेरे चैम्बर में घुसने का प्रयास किया। उसकी वीडियो फुटेज है वह मेरे पास है। Chamber is not a Vidhan Sabha, whether I allow

28.02.2024/1410/एच के/ डी टी/ -2

you or not. That is my discretion in the Chamber. And without seeking my permission all Members got inside my chamber and they started circling me like anything as if they wanted to attack me. It was very shocking state. I was time and again making them understand please sit down you are a senior most Members, we can oppose each other, if any grim situation has arisen in a political setup, we will face it. We are elected by the people, we are not sacred of any election or any development also. पर इस तरह का व्यवहार, आप रिकॉर्ड देख लें, पिछले एक साल में जो भी सदन की बैठकें हुई हैं सबसे ज्यादा बोलने का समय नेता प्रतिपक्ष को दिया गया है और सभी सम्माननीय सदस्यों को बोलने का उचित समय दिया गया है। जो सदस्य यहां पर चुप बैठे थे, उनके खिलाफ हमने कोई कार्रवाई नहीं की है। आदरणीय अनिल शर्मा जी, आदरणीय सुख राम चौधरी जी, आदरणीय प्रकाश राणा जी, आदरणीय पवन कुमार काजल जी आप सभी चुप बैठे थे और श्रीमती रीना कश्यप जी भी चुप बैठी थीं। They were trying to instigate her but she did not came in that instigation also. Secondly, I have put that petition today for hearing. अभी सुप्रीम कोर्ट के लॉयर द्वारा हेयरिंग का फर्स्ट पार्ट शुरू कर दिया गया है। 4.00 बजे Anti Defection Law के तहत as a Tribunal, I have taken up that issue and that is under deliberation with me as the Chairman Tribunal not as the Speaker. So this matter is not required to be raised in this House, rightly pointed out by the

Parliamentary Affairs Minister. So, now I am taking today's Agenda. माननीय सतपाल सिंह सत्ती जी आप क्या कहना चाह रहे हैं।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, मैं यही बातें आपके ध्यान में लाना चाहता था कि जो हमारे सम्माननीय सदस्यों का निष्कासन हुआ है उसको हम लोग आपके ध्यान में लाना चाहते हैं कि वह गलत है।

श्री एन.जी. द्वारा जारी.....

28-02-2024/1415/वाई.के.-एन.जी/1

श्री सतपाल सिंह सत्ती..........जारी

आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। जिस समय हम लोग वहां पर गए तब मैं भी वहीं पर था और मैं बैकडोर से आपके पास आया तथा निवेदन किया कि हमारे लोग बाहर खड़े हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। आपने कहा कि दरवाज़ा खोलो और उन सभी को अंदर बुला लो। उसके बाद मैंने उन्हें बुलाया और वहां पर कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई थी। जिस समय कोई आदमी थोड़ा गुस्से में होता है तो शायद वह ऊंची आवाज़ में जरूर बोल देता है लेकिन ऐसा नहीं कि उसके मन में इज्जत नहीं होती।

अध्यक्ष : हाउस से ज्यादा नारे तो अंदर लगाए थे।

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, उसके नाते मेरा मानना था कि (***) ...(व्यवधान)

Speaker : This part of the statement of Hon'ble Member Shri Satpal Singh Satti will not go on record. I am not allowing that. ...(Interruption) Please, take your seat. ...(Interruption) Let the Hon'ble Member Shri Satpal Singh Sattiji conclude his point.

श्री सतपाल सिंह सत्ती : अध्यक्ष महोदय, आप हमें सुन नहीं रहे हैं और हमें अपनी बात नहीं रखने दे रहे हैं जिस कारण हम भी इस माननीय सदन में नहीं रहेंगे। हम सब भी अपने 15

साथियों का साथ देने के लिए इस माननीय सदन का बायकॉट करके बाहर जा रहे हैं। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

(विपक्ष के माननीय सदस्य सदन से बहिर्गमन कर गए।)

(***) अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाले गए।

28-02-2024/1415/वाई.के.-एन.जी/2

अध्यक्ष : माननीय राजस्व मंत्री, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं?

राजस्व मंत्री : अध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता, विपक्ष और इनके सभी सहयोगी आए दिन लोकतंत्र को कमज़ोर कर रहे हैं, वह इस माननीय सदन की मर्यादा को तार-तार करता है और आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ है। आज विपक्ष के सभी माननीय सदस्य वैल के अंदर आ गए और नारेबाजी करने लगे। इतना तो ठीक था लेकिन उसके बाद इन्होंने यहां पर जो स्टॉफ (विधानसभा प्रतिवेदकों को इंगित करते हुए) बैठा है और इस माननीय सदन की कार्यवाही को नोट करते हैं, उनके सभी कागज़ों को छीन कर आपके आसन पर फेंक दिए। कुछ कागज़ों को हमारे साथियों के ऊपर भी फेंका गया। हमें provoke and intimidate किया गया ताकि हम भी उत्तेजित होकर उन पर कोई कार्रवाई करें। मुझ से पहले जो माननीय सदस्य बोल रहे थे और वे तो आपके आसन पर चढ़ गए थे। ये लोग लोकतंत्र को किस तरह से बचाना चाहते हैं? पिछले कल की ही घटना है कि जब राज्यसभा सदस्य के लिए वोटिंग हो रही थी और वहां पर बहुत शांति से वोटिंग चली हुई थी, all of a sudden नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर जी 15-20 लोगों को लेकर पोलिंग बूथ के अंदर घुस गए। पोलिंग बूथ में घुसकर कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार के इलैक्शन एजेंट के साथ गाली-गलौच करने पर उतर गए। ये कैसे नेता प्रतिपक्ष हैं? कैसे पूर्व मुख्य मंत्री हैं? कैसे पूर्व स्पीकर हैं? यहां पर एक-एक रूल्ज़ को तोड़ा जा रहा है।

अफसोस की बात तो यह है कि इन पर कोई एक्शन भी नहीं लिया गया। हमने लिखित में दिया और वहां पर कैमरे भी लगे हुए थे। उनकी परवाह किए बिना ही ये लोग पोलिंग बूथ में घुसकर हमारे पोलिंग अधिकारी, जैसे सी.ई.ओ., रिटर्निंग ऑफिसर, उनको इंफ्लुएंस करने की कोशिश की गई। हमारे साथ भी गाली-गलौच की गई। उसके बाद जब काउंटिंग का समय आया तब बाहर ऐसा लगा जैसे कोई भूकम्प आ गया। हमने देखा कि जो लाइब्रेरी का दरवाज़ा बंद था और वह पोलिंग बूथ का पार्ट था, तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष, बिन्दल जी, वे भी पूर्व स्पीकर रहे हैं,

28-02-2024/1415/वाई.के.-एन.जी/3

उन्होंने अपने 10-12 लोगों के साथ आकर दरवाज़े को पूरी तरह से तोड़ने की कोशिश की ताकि वे अंदर घुस सकें। ये लोकतंत्र कैसे चलेगा? ये लोग तो कोई नियम मानते ही नहीं हैं। आज आपने जब इनको बाहर जाने के लिए ऑर्डर कर दिया तब भी ये लोग बाहर नहीं गए। श्री जय राम ठाकुर जी और पूर्व स्पीकर, अपने साथियों के साथ लगातार यहीं पर बैठे रहे। आपने सही कहा कि जब हाउस स्थगित हो गया they have no business to remain here. They have no right to remain inside the House. परंतु ये उस नियम को भी तोड़ते रहे। आपके साथ इन्होंने कल जिस तरह का व्यवहार किया और आपके चैम्बर में घुस कर आपको डराया-धमकाया व आपकी मेज़ को भी थपथपाया तो इस प्रकार से हमारा लोकतंत्र कैसे चलेगा और हमारा लोकतंत्र आज बहुत खतरे में है। इन्होंने हमारे 6 माननीय सदस्यों को जिस तरह से अपनी ओर खींचा, ऐसा कैसे हो सकता था? हमारी तादाद 40 की थी और 3 अन्य माननीय सदस्य भी हमारे साथ थे। इनके पास 25 की संख्या थी और फिर भी ये अपना उम्मीदवार उतार रहे हैं। वे कैसे इनके पास जाएंगे?

श्रीमती के.एस. द्वारा जारी.....

28.02.2024/1420/केएस/वाईके/1

राजस्व मंत्री जारी---

वे क्या बिना प्रलोभन के गए, बिना दबाव के गए या इनमें कोई ऐसा अट्रैक्शन है कि ये लोग इनके साथ चले गए? ये लोग सदन के अंदर नियमों को मानते ही नहीं हैं और सदन के बाहर खरीद-फरोख्त करके लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए हम सभी का दायित्व है और अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने इस माननीय सदन की मर्यादा के लिए समय-समय पर जो भी फैसला लिया है, उससे फिर भी हमारा लोकतंत्र बच रहा है। आज देखिए कि हिमाचल जैसे शांत प्रदेश में ये सी.आर.पी.एफ. को साथ ले कर चले हुए हैं। ये क्या दिखाना चाहते हैं? क्या हिमाचल प्रदेश को भी ये यू.पी., बिहार बनाना चाहते हैं? ये समय-समय पर इस किस्म की वारदात करते रहते हैं। जैसे मछली पानी से बाहर निकलने के बाद तड़पती है वैसे ही जय राम जी की सत्ता से बाहर निकलने की तड़प खत्म नहीं होगी। हर किस्म के अनैतिक काम करके चुने हुए लोगों को यहां से निकालकर ये अपनी तरफ करने की कोशिश कर रहे हैं। यह लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए बहुत बड़ा खतरा है। इस देश में जो इन्होंने नई प्रवृत्ति शुरू की है, लगता है कि हिंदुस्तान का आने वाला भविष्य ठीक नहीं है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, समय-समय पर नियम व कायदे-कानून रखने की आपने पूरी कोशिश की। अपने गरिमापूर्ण पद पर रहते हुए आपने विपक्ष के साथियों को सबसे ज्यादा समय दिया। यहां पर ज़ीरो आवर का प्रोविज़न नहीं है, उसके बावजूद भी जब ये क्वैश्चन आवर के बाद प्रश्न उठाते थे, आपने इनको मान-सम्मान दिया, इनकी आवाज को यहां पर रुकने नहीं दिया परंतु यह एक तरफा नहीं है। जब ये बोलते हैं तो हम सुनते हैं। लेकिन जब हम बोलते हैं तो ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं इसलिए अगर लोकतंत्र को बचाना है, आप महान हैं और हमें आपकी जैसे अध्यक्ष की आवश्यकता है। आप आसन से जो भी आदेश करेंगे उनको चैलेंज ही नहीं किया जा सकता। नियम बने हुए हैं और माननीय सदन ने बनाए हैं। लेकिन ये तो एक भी नियम नहीं मानते। जय राम जी को तो पता नहीं क्या हो गया है? ये तो लोकतंत्र को खत्म करने में विश्वास रखने वाले आदमी हैं। इसलिए जो आज घटना घटी है, मैं उसकी भरपूर निंदा करता हूं और आपसे निवेदन करूंगा कि नियम और कायदे के अंतर्गत जो ऑर्डेज़ आपने किए, उनको इम्प्लीमेंट करना चाहिए और जो इम्प्लीमेंट नहीं हुए हैं, चाहे वे बड़े-

से-बड़े अधिकारी भी हैं जोकि इन ऑर्डज़ को इम्प्लीमेंट नहीं कर सके, उनके खिलाफ सख्त-से-सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। धन्यवाद ।

28.02.2024/1420/केएस/वाईके/2

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, श्री हर्षवर्धन चौहान जी और जगत सिंह नेगी जी ने बहुत अच्छी बात रखी। मैं सिर्फ एक घटना की तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मैं जब हाउस से बाहर जा रहा था, यहां पर जो विधान सभा का स्टाफ बैठा हुआ था, इनसे कागज छीने गए और छीनकर आपकी सीट पर फेंके गए। इसकी वीडियोग्राफी भी आप देख लेना कि कौन लोग इसमें सम्मिलित थे। उसकी तो हम निंदा करते ही हैं और पूरा सदन चाहता है कि जिन्होंने भी इस तरह का कृत्य किया है, नियमों के अनुसार उनके खिलाफ जो भी दंडात्मक सजा होगी, वह आप दें। हम चाहते हैं कि उनके खिलाफ़ सख्त-से-सख्त कार्रवाई विधान सभा के नियमों/कानूनों के तहत की जाए। जो लोग (विपक्ष के माननीय सदस्यों को इंगित करते हुए) हमारे जाने के बाद यहां सदन के अंदर नाच रहे थे, उन सभी के खिलाफ़ भी कार्रवाई होनी चाहिए। यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश में मिलिट्री लगा दो, सी.आर.पी.एफ. लगा दो, अधिकारियों और कर्मचारियों को डरा दो, हिमाचल की जनता को वह मान्य नहीं है। ये टॉस के माध्यम से राज्य सभा का चुनाव जीते, कोई बात नहीं। लेकिन पूरी फोर्स लगाने के बावजूद जिस प्रकार का व्यवहार कल शाम इन्होंने किया, हमारे वहां पर पोलिंग एजेंट थे, ये सब लोग जिस प्रकार वहां गए, हमारी सरकार उसकी भी निंदा करती है और इन्होंने रूलिंग लॉज के पास जाकर जो मिसबिहेव किया, नियमों को तोड़ा, उसके खिलाफ भी हम सख्त कार्रवाई चाहेंगे, यही मैं कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय, आप तो बड़ा पेशेंटली इनको सुनते हैं। ये आपके कमरे में आकर बैठते हैं। वहां कुछ और ही बोलते हैं। जयराम जी को सत्ता की ऐसी भूख लगी कि अभी तक उनको पंचकूला में ठहराया जा रहा है, हैलीकॉप्टर में ले जाया जा रहा है। उन 6 में से एक ने मुझे भी फोन किया कि अच्छा हुआ हमें हेलीकॉप्टर की सवारी तो मिली लेकिन वोट डालने का दुख है। तो उनकी भी अभी आपके पास डिसक्वालिफिकेशन संबंधी पेटिशन चल रही है। मैं यह चाहता हूं कि सदन की गरिमा भी बनी रहे, हिमाचल प्रदेश में शांति भी

बनी रहे तथा लोकतांत्रिक प्रक्रिया का सम्मान भी हो। गुंडागर्दी से यह प्रदेश चलने वाला नहीं है। यह शांतिप्रिय प्रदेश है और देवी-देवताओं का प्रदेश है।

अ0व0 द्वारा जारी...

28.02.2024/1425/av/dc/1

मुख्य मंत्री-------- क्रमागत

आज की कार्यवाही के दौरान जो भी गलत हुआ है, उनके विरुद्ध आपको सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। मैं यही कहना चाहता हूं।

अध्यक्ष : वैसे तो मैंने विस्तृत तौर पर पहले ही इस माननीय सदन को अवगत करवा दिया है कि यहां से जो भी निर्देश जारी हुए हैं, उनकी उल्लंघना हुई है। निलम्बन का प्रस्ताव आने के बाद भी सदन के अंदर रहना और सदन की गरिमा को ठेस पहुंचाना तथा यहां की रिवायतों को तोड़ना हम सबके लिए निःसंदेह बहुत ही दुःख की बात है। इसलिए मैं भविष्य में अगले विषयों पर नियमों के अनुरूप कार्रवाई करूंगा।

28.02.2024/1425/av/dc/2

कागज़ात सभा पटल पर

अध्यक्ष : अब तकनीकी शिक्षा मंत्री कुछ कागज़ात सभा पटल पर रखेंगे।

तकनीकी शिक्षा मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, अधिनियम, 2014 की धारा-41 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय, हमीरपुर का वार्षिक लेखे (संपरीक्षा रिपोर्ट सहित), वर्ष 2019-20 एवं 2020-21 (विलम्ब के कारणों सहित) की प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

28.02.2024/1425/av/dc/3

सदन की समितियों के प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब सदन की समितियों के प्रतिवेदन सभा पटल पर रखे जाएंगे। अब श्री नन्द लाल, सभापति, कल्याण समिति, कल्याण समिति के प्रतिवेदन की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नन्द लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कल्याण समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूंः-

(i) समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 32 के अन्तर्गत अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम (SCDP) की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति का 19वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 31 के अन्तर्गत जनजातीय विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(iii) समिति का 20वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः 19 के अन्तर्गत सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री केवल सिंह पठानिया, माननीय सदस्य, जन प्रशासन समिति, जन प्रशासन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

28.02.2024/1425/av/dc/4

श्री केवल सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से जन प्रशासन समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का चतुर्थ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:21 के अन्तर्गत सहकारिता विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का पंचम् प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:22 के अन्तर्गत खाद्य और नागरिक आपूर्ति विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

अध्यक्ष : अब श्री भवानी सिंह पठानिया, सभापति, मानव विकास समिति, मानव विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री भवानी सिंह पठानिया: अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मानव विकास समिति, के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का 17वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:9 के अन्तर्गत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(ii) समिति का 18वाँ मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:24 के अन्तर्गत मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

28.02.2024/1425/av/dc/5

अध्यक्ष : अब श्री संजय रत्न, सभापति, सामान्य विकास समिति, सामान्य विकास समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री संजय रत्नः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से सामान्य विकास समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का षष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि बहुउद्देशीय परियोजनाएं एवं ऊर्जा विभाग की गतिविधियों/कार्यों की संवीक्षा पर आधारित है;

(ii) समिति का सप्तम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि आवास विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्यवन पर आधारित है;

(iii) समिति का अष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि नगर एवं ग्राम योजना विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्यवन पर आधारित है;

(iv) समिति का नवम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्याः13 के अन्तर्गत सिंचाई, जलापूर्ति एवं सफाई विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(v) समिति का दशम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:26 के अन्तर्गत पर्यटन और नागर विमानन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

28.02.2024/1425/av/dc/6

अध्यक्ष : अब श्री नन्द लाल, माननीय सदस्य, ग्रामीण नियोजन समिति, गामीण नियोजन समिति के प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री नन्द लालः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, ग्रामीण नियोजन समिति, के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर रखता हूंः-

(i) समिति का पंचम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है;

(ii) समिति का षष्टम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:16 के अन्तर्गत वन और वन्य जीवन विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है; और

(iii) समिति का सप्तम् मूल प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा) जोकि मांग संख्या:20 के अन्तर्गत ग्रामीण विकास विभाग की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

28.02.2024/1425/av/dc/7

नियम समिति का प्रतिवेदन

अध्यक्ष : अब श्री विनय कुमार, उपाध्यक्ष एवं सदस्य, नियम समिति के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करेंगे तथा सदन के पटल पर रखेंगे।

श्री विनय कुमार, उपाध्यक्षः अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से नियम समिति (वर्ष 2023-24) (चौदहवीं विधान सभा) के प्रथम प्रतिवेदन की प्रति सभा में उपस्थापित करता हूं तथा सदन के पटल पर भी रखता हूं।

28.02.2024/1425/av/dc/8

वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए बजट अनुमानों की अनुदान मांगों पर चर्चा, मतदान एवं पारण

अध्यक्ष : आज बजट पारित होना है और फाइनेंशियल बिल भी हैं तथा उसका समय भी हो रहा है। माननीय सदन के पास कोई और बिजनेस नहीं है इसलिए अब मैं गिलोटिन (Guilotine) अप्लाई कर रहा हूं।

प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई धनराशियां मु0 4,42,55,56,29,000/- रुपये (राजस्व) एवं 63,47,83,29,000/- रुपये (पूंजीगत) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

तो प्रश्न यह है कि राज्यपाल महोदय को दिनांक 31 मार्च, 2025 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान मांग संख्या : 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 व 32 के अंतर्गत राजस्व तथा पूंजी के निमित्त ऑर्डर पेपर के कॉलम नम्बर तीन में दर्शाई गई धनराशियां मु0

4,42,55,56,29,000/- रुपये (राजस्व) एवं 63,47,83,29,000/- रुपये (पूंजीगत) संबंधित सेवाओं के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य की संचित निधि में से दे दी जाएं।

(प्रस्ताव स्वीकार)

मांगें पूर्ण रूप से पारित हुईं।

28.02.2024/1425/av/dc/9

विधायी कार्य

सरकारी विधेयकों की पुरःस्थापना

अध्यक्ष : अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अनुमति दी गई।

अब माननीय मुख्य मंत्री हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करेंगे।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पुरःस्थापित करता हूं।

अध्यक्ष : हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) पुरःस्थापित हुआ।

28.02.2024/1425/av/dc/9

सरकारी विधेयक पर विचार-विमर्श एवं पारण

अब माननीय मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) पर विचार किया जाए?

(प्रस्ताव स्वीकार)

अब बिल पर खण्डशः विचार होगा।

टी सी द्वारा जारी

28.02.2024/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0-1

अध्यक्ष ... जारी

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 तक विधेयक का अंग बनें।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 2, 3 और 4 विधेयक का अंग बने।

तो प्रश्न यह है कि अनुसूची विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

अनुसूची विधेयक का अंग बनी।

तो प्रश्न यह है कि खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

प्रस्ताव स्वीकार

खण्ड 1, संक्षिप्त नाम और विधायी सूत्र विधेयक का अंग बने।

पारण :

अध्यक्ष : अब मुख्य मंत्री प्रस्ताव करेंगे कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

मुख्य मंत्री : मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

अध्यक्ष : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए।

तो प्रश्न यह है कि हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2) को पारित किया जाए?

प्रस्ताव स्वीकार

"हिमाचल प्रदेश विनियोग (संख्यांक 2) विधेयक, 2024 (2024 का विधेयक संख्यांक 2)" पारित हुआ।

28.02.2024/1430/टी0सी0वी0/डी0सी0-2

संसदीय कार्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती जी चर्चा कर रहे थे कि कांग्रेस के 6 विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया है। मैं

आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कि जो केस चला है, कांग्रेस पार्टी ने व्हिप इश्यू किया है कि कांग्रेस के सभी माननीय सदस्य सदन में उपस्थित होंगे और बजट के पक्ष में वोट डालेंगे। मैं आपके ध्यान में फिर लाना चाहूंगा as an evidence कि आज हमने इन 6 विधायकों की बायनेम पेटिशन फाइल की है they are absent from the House. It amounts that they have defied the Whip and it attracts the Anti Defection Law under Schedule-10. This is one of the evidence. यह मैं इसलिए आपके ध्यान में लाना चाह रहा था कि it becomes part of the house proceedings that they are second time absent from the House.

Speaker: All those Members have defied the Whip also. They are not present today also when this Finance Bill is under consideration and passing in this Hon'ble House. I have taken cognizance of that and it will also be part of the record. मैं यह भी कहना चाहूंगा कि 15 माननीय सदस्यों को in the further remaining Session के लिए सस्पेंड किया जा चुका है और माननीय सदन के पास अब कोई बिजनेस शेष नहीं है।

एन0एस0 द्वारा ....जारी

28-02-2024/1435/एन0एस0-एच0के0/1

अध्यक्ष ...... जारी

इससे पूर्व कि मैं सभा को अनिश्चित काल के लिए स्थगित करूं, मैं सभा में उपस्थित सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि वे राष्ट्रगीत के लिए अपने-अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।

(सदन में उपस्थित सभी **अपने-अपने स्थान पर राष्ट्रगीत के लिए खड़े हुए)**

अब माननीय सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाती है।

शिमला : 171004 **यशपाल शर्मा**
दिनांक 28 फरवरी, 2024 **सचिव।**